(23)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ef-6-7=504

प्रकरण क्रमांक   1992 निगरानी R-249-I/92

192-I
अजीत कुमार जैन 25.11.92
25/11/92

25-11-92

१) रतीराम,

२) भिकाराम, पुत्रगण तुलसीराम,

निवासीगण ग्राम कुटरौली, तहसील मेहगाँव,

जिला भिण्ड   ---आवेदकगण

बनाम

१) मु० तारादेवी बेवा पन्नालाल,

२) मुन्नालाल,
३) चुन्नीलाल,
४) हरिलाल,
५) गोपाल
६) आनन्दीलाल
७) रामलाल
८) श्यामलाल,

} पुत्रगण पन्नालाल

निवासीगण कुटरौली हाल लौदना तहसील फरिया, जिला राजगढ़

९) चन्द्रादेवी पत्नि राजेन्द्र

१०) गिरि पुत्री पन्नालाल

११) ताराकुमारी पुत्री पन्नालाल,

निवासीगण कुटरौली हाल लौदना

तहसील फरिया, जिला राजगढ़ बिहार

-- ---अनावेदकगण.

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक २५-८-९२ पारित द्वारा अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

(16)

प्रकरण कमांक निग0 249–एक/92 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–04–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 17–11–1995 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–04–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 17–11–95 से 03–04–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–04–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1992 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	